

नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।

सूचना

सर्व सज्जनों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिला न्यायालय, बुलन्दशहर परिसर में स्थित पार्किंग स्टैण्ड के ठेके की नीलामी दिनांक 21.03.2025 को होना निश्चित हुआ था, परन्तु उक्त नीलामी में पर्याप्त संख्या में बोली बोलने वाले व्यक्ति उपस्थित न होने के अपरिहार्य कारणों से दिनांक 21.03.2025 को उक्त नीलामी प्रक्रिया सम्पादित नहीं हो सकी।

जनपद न्यायालय परिसर में स्थित पार्किंग स्टैण्ड के ठेके की नीलामी पुनः दिनांक 28.03.2025 को दोपहर 04.30 बजे न्यायालय परिसर में स्थित अष्ट कक्षीय न्यायालय भवन में स्थित विडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष में बोली जायेगी। इच्छुक व्यक्ति नियत समय एवं स्थान पर उपस्थित आकर बोली बोल सकते हैं। ठेका दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक की अवधि तक रहेगा। बोली बोलने में इच्छुक व्यक्ति दिनांक 27.03.2025 को समय 02 बजे अपरान्ह तक अपना पहचान पत्र/आधार कार्ड तथा हैसियत प्रमाण पत्र मय प्रार्थना पत्र केन्द्रीय नजारत पर प्रस्तुत करेंगे, इसके उपरान्त किसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।

ठेके की शर्तें।

1. बोली बोलने के इच्छुक व्यक्ति को अपना पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. पार्किंग स्टैण्ड के लिए बोली बोलने वाले व्यक्ति को हैसियत प्रमाण-पत्र दाखिल करना होगा।
3. बोली बोलने से पूर्व सरकारी बोली का 10 प्रतिशत अग्रिम जमा करना होगा।
4. ठेका स्वीकार होने की दशा में ठेके की राशि का चौथाई भाग प्रतिभू के रूप में जमा करना होगा, ऐसा न करने पर बोली बोलने की राशि बहक सरकार जब्त कर ली जायेगी।
5. ठेके की पहली किश्त 01 अप्रैल 2025, दूसरी किश्त 01 जुलाई 2025, तीसरी किश्त 01 अक्टूबर 2025 व चौथी किश्त 01 जनवरी 2026 को जमा करनी होगी।
6. ठेका लेने वाले को अपने व्यय पर जनरल स्टाम्प पर नियमानुसार अनुबन्ध करना होगा, 01 अप्रैल 2025 तक अनुबन्ध न करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और प्रतिभू की राशि बहक सरकार जब्त कर ली जायेगी।
7. कोई ठेकेदार अन्य व्यक्ति को ठेका अन्तरित नहीं करेगा।
8. ठेका निर्धारित किये गये स्थान पर ही होगा।
9. कोई ठेकेदार स्थाई निर्माण नहीं करेगा।
10. ठेके के स्थान पर उसके आस-पास ठेकेदार को पर्याप्त सफाई रखनी होगी।
11. पार्किंग स्टैण्ड के ठेकेदार सरकारी विभाग के वाहनों से नियमानुसार वसूली नहीं करेगा।
12. माननीय जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये निरस्त कर दें।
13. माननीय जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर को यह अधिकार भी होगा कि वह किसी भी ठेके को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त कर दे।
14. ठेकेदारों को समय-समय पर माननीय जिला न्यायाधीश के निर्देशों का पालन करना होगा।

मा० जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर की आज्ञा से।

(शिवा नन्द),

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय, कक्ष संख्या-03,
जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।

इस सूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचना पटों पर चस्पा कराया जाये:

1. माननीय जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर।
2. श्रीमान जिलाधिकारी कार्यालय, बुलन्दशहर।
3. श्रीमान नगर पालिका परिषद, कार्यालय, बुलन्दशहर।
4. कार्यालय जिला परिषद, बुलन्दशहर।
5. जिला सूचना अधिकारी वास्ते दैनिक समाचार पत्रों में खबर के रूप में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. प्रतिलिपि, सिस्टम ऑफिसर को जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(शिवा नन्द),

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय, कक्ष संख्या-03,
जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।